

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

संविदागत अनुबंध के आधार पर समाचार वाचक/वाचिका-सह-अनुवादक कार्य हेतु
आवेदन पत्र

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम

(अ) हिन्दी में

(ब) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

2. पत्राचार (वर्तमान स्थानीय निवास) का पूरा पता.....

3. संपर्क फोन नं०मोबाईल नं०.....

4. स्थायी पता-

5. वैवाहिक स्थिति

विवाहित		अविवाहित
---------	--	----------

6. जन्म तिथि - दिनांक माह वर्ष

7. दिनांक - 06/09/2016को आयु : वर्ष माह दिन

8. लिंग- पुरुष स्त्री

9. शैक्षिक योग्यता :-

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत

10. व्यावसायिक योग्यता :-

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत

11. पत्रकारिता/सम्पादकीय एवं रिपोर्टिंग कार्य का अनुभव:-

संस्थान/पत्र-पत्रिका/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम जिसके लिए कार्य किया हो	पद	कार्य अनुभव की अवधि		
		से	तक	अनुभव की अवधि के पूर्ण वर्ष/माह

12. क्या आप कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखते हैं:- हाँ नहीं

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गए सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं मेरी हस्तलिपि में भरे गए है। मैं भलीभांति समझता/ समझती हूँ कि उपर्युक्त किसी भी सूचना के किसी भी चरण पर असत्य अथवा दोषपूर्ण पाये जाने पर मेरी अभ्यर्थिता निरस्त/समाप्त कर दी जाएगी।

स्थान:-
दिनांक:-

vH;FkH d; gLrk{kj

नियम व शर्तें :-

1. दिनांक 06.09.2016 को आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
2. पटना नगर क्षेत्र में निवास करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें।
3. अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आवश्यक निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त की हों।
4. अभ्यर्थी के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता आवश्यक है। किसी अन्य भाषा का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता माना जायेगा। समाचार वाचक सह अनुवादक (हिन्दी) के लिए हिन्दी भाषा में प्रवीणता भी आवश्यक है।
5. साक्षात्कार/परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को पूर्णपता अल्पकालिक अनुबन्ध के आधार पर अस्थाई तौर पर कार्य करना होगा एवं उनके नियमितीकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
7. पूर्णकालिक अनुबन्ध के मामले में संविदा एक बार में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे कार्य और आवश्यकता के अनुसार वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। अभ्यर्थी की 60 वर्ष की आयु के उपरान्त अनुबन्ध नहीं बढ़ाया जायेगा।
8. अनुबन्धित व्यक्ति का अनुबन्ध नियमित कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।
9. अनुबन्ध किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा।
10. चयनित अभ्यर्थी को मासिक एकमुश्त पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
11. चयनित अभ्यर्थी अनुबन्ध की अवधि के दौरान कहीं अन्यत्र कार्य नहीं कर सकेंगे।
12. आवेदन करते समय अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, आयु, योग्यता और अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।
13. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा जैसा कि पृष्ठ संख्या एक पर दर्शाया गया है।
14. भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेज के साथ 'केन्द्राध्यक्ष, प्रादेशिक समाचार एकांश, आकाशवाणी, छज्जु बाग, फ्रेजर रोड, पटना, बिहार, पिन कोड 800 001 के पते पर भेजना होगा। लिफाफे पर " समाचार वाचक/वाचिका-सह- अनुवादक" लिखें। आवेदन पर स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक द्वारा इस प्रकार भेजे जाने चाहिए कि दिनांक 06/09/2016 तक अवश्य प्राप्त हो जाएं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
15. अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
16. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा चयन सूची तैयार होने पर किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रसार भारती की नीति, नियम व शर्तें, पत्र संख्या, ए-10/159/09-पीपीसी दिनांक:- 27.09.2012 में देखी जा सकती है। जो www.newsonair.nic.in पर उपलब्ध है।

.....